ई-निविदा

कर सलाहकार के रूप में सीए फर्म की सेवाएं लेने के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम ई-निविदा

ईएमडी	रु 25,000/- (केवल पच्चीस हज़ार रुपये)

स्पाइसेस बोर्ड के सचिव को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी उद्धरण अस्वीकार करने या काम का कुछ हिस्सा अलग-अलग अभिकरणों को आवंटित करने का अधिकार है।

निविदा दस्तावेज़ो का पूरा विवरण हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://indianspices.com पर उपलब्ध है।

निविदा/उद्धरण https://gem.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

कर सलाहकारों की नियुक्ति-स्पाइसेस बोर्ड-कोच्ची

परिचय

स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 01/12/2024 से 31/11/2026 तक की अवधि के लिए वित्तीय सलाहकार सेवाओं- ऑनसाइट, आयकर और जीएसटी रिटर्न्स दाखिल करने के लिए जीएसटी सलाहकार के लिए सनदी लेखाकार/लागत व प्रबंधन लेखाकार फर्म को नियुक्त करने हेतु जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित करते हैं।

यह निविदा स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के सचिव द्वारा जीएसटी और आयकर अधिनियमों के अनुसार मासिक एवं वार्षिक रिटर्न दाखिल करने साथ ही संलग्न कार्य के दायरे और संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार टीडीएस से संबंधित कार्य के लिए कर सलाहकारों के रूप में सनदी लेखाकार/ लागत व प्रबंधन लेखाकार फर्म को नियुक्त करने के लिए जारी की गई है।

क)	बोलीदाता/निविदाकर्ता https://gem.gov.in/ पर जीईएम पोर्टल से बोली दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीदाता/निविदाकर्ता को केवल जीईएम के माध्यम से सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों को स्कैन और अपलोड करके बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
ख)	इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जीईएम बोली में बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
ग)	बोलियाँ इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित सदस्यों की एक समिति द्वारा निविदा द्सतावेज़ में उल्लेखित समय और तारीख पर ऑनलाइन खोली जाएगी।
घ)	सभी बोलीदाताओं को 25,000/- रु. (केवल पच्चीस हज़ार रुपये) की बोली प्रतिभूति जमा/अग्रिम धन जमा करने की आवश्यकता होगी, जो “सचिव, स्पाइसेस बोर्ड” के पक्ष में मांग ड्रफ्ट के रूप में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते **“स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एनएच बाईपास, पालारिवट्टम, एर्नाकुलम, कोच्ची. 682025, केरल”** पर बोली समाप्ति तिथि/समय से पहले पहुंच जाए।
	मांग ड्राफ्ट शामिल किए लिफाफे के ऊपर **“कर सलाहकारों के चयन के लिए ईएमडी”** लिखना चाहिए। देरी से प्राप्त ईएमडी के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
ङ)	भारतीय स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए आँकडे एवं जानकारी को संविदा अवधि के दौरान तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा।
च)	स्पाइसेस बोर्ड के सचिव को इस विज्ञापन के जवाब में प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को बिना काई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिका है और इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

छ)	बोली लगाने वाले फर्म का एर्नाकुलम और इसके आसपास पूर्णतः कार्यात्मक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें भागीदार के रूप में कम से कम तीन पंजीकृत अध्येता सदस्यों(एफसीए) और कम से कम 10 सहायक कर्मचारी (वस्तु जहाज़ प्रशिक्षु शामिल है) होना चाहिए। बोली लगाने वाले फर्म के पास काम में प्रतिनियुक्त करने के लिए पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम दो सनदी लेखाकार/दो लागत व प्रबंधन लेखाकार शामिल हो। (सनदी लेखाकार/ लागत लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति और संबंधित कार्यालय में कार्यरत कर्मचारीयों का स्व-प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिन सनदी लेखाकार/लागत व प्रबंधन लेखाकार फर्मों में आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा समकक्षी समीक्षा आयोजित किया जाता है, उन्हें आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ तकनीकी बोली भी संलग्न करनी चाहिए।
ज)	बोली लगाने वाले फर्म के पास केन्द्र /राज्य सरकार अभिकरणों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों के जीएसटी, टीडीएस और आयकर से संबंधित कार्यों से निपटने में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाताओं को अनुभव के प्रमाण के लिए जीईएम के माध्यम से पिछले तीन सालों के दावे के प्रमाण के साथ ऐसे सरकारी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों/अनुबंधों/कार्य आदेशों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है)। जिन फर्मों के पास समान क्षेत्र में पिछला अनुभव नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
झ)	बोली लगाने वाली फर्म को माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (स्व-सत्याि‍पित जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)
ञ)	बोली लगाने वाली फर्म की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक आय15 लाख रुपये के साथ 80 लाख रूपये के न्यूनतम टर्नऑवर होनी चाहिए।
	(बोलीदाताओं को जीईएम के माध्यम से संपरीक्षित लाभ और हानि खातों और तुलन-पत्र/आईटी रिटर्न्स की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए)
ट)	कोई भी प्रति प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है और सशर्त/देर से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं।
ठ)	बोली लगाने वाली फर्म किसी भी तरह से संगठन को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसी कार्रवाई अयोग्य मानी जाएगी, और फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ड)	निविदा में "दो वोली प्रणाली" है यानी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। वित्तीय बोली केवल उन फर्मों के लिए खोली जाएगी जो तकनीकी बोली के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं। कर अपवर्जित मूल्य को वित्तीय बोली में माना जाएगा।

संविद का प्रदान करना:

चयन न्यूनतम लागत विधि आधारित मूल्यांकन(एलसीबीएस) के आधार पर किया जाएगा।

क)	संविदा उस फर्म को प्रदान किया जाएगा, जिसका मूल्यांकित बोली कीमत वित्तीय बोली से सबसे कम होगी।
ख)	यदि दो या अधिक तकनीकी रूप से योग्य फर्म एक ही न्यूनतम मूल्य उद्धरण करती हैं, तो तकनीकि बोली बोली में उच्चचम अंक वाली फर्म को संविदा प्रदान किया जाएगा।
ग)	यदि दो या अधिक तकनीकि रूप से योग्य फर्म एक ही न्यूनतम मूल्य उद्धृत करती हैं और उनके तकनीकी अंक समान हैं, तो जीईएम का स्वतः चयन किया जाएगा।
घ)	तकनीकी बोली को अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 60 होंगे।
ङ)	इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी विवाद केवल एर्नाकुलम की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
च)	बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली परिशिष्ट-। (केवल पीडीएफ फाइल में) में दिए गए प्रारूप में अपनी मूल्य बोली के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। (खुले तौर पर उद्धृत मूल्य के साथ तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

कार्यों का विषय क्षेत्र-

1)	**जीएसटी संबंधित कार्य-**
	स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और इसके अन्य राज्यों में स्थितप इकाई कार्यालयों में जीएसटी से संबंधित सभी कार्य। परामर्शदाता सेवा में निम्नलिखित शामिल होंगें,
2)	जीएसटी विनियमन के अनुसार जीएसटी व्यवस्था के तहत टीडीएस और टीसीएस, वार्षिक रिटर्न, ई-बीजक सहित सभी आवश्यक मासिक जीएसटी रिटन्र्स का दाखिल करना और मासिक/वार्षिक रिटन्र्स का समाधान करना आवश्यक है।
3)	रिटर्न दाखिल करने के लिए आँकडे स्पाइसेस बोर्ड के लेखा मोड्यूल से प्राप्त किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सलाहकार को जीएसटी रिटर्न के प्रारूप के अनुसार आँकडे की व्यवस्था करनी होगी।
4)	आउटपुट ऋण, इनपुट ऋण की पात्रता और प्रेषण के लिए शुद्ध कर देयता के बारे में आँकडे

	की शुद्धता सुनिश्चित करना सलाहकार की जिम्मेदारी होगी। रिटर्न्स दाखिल करने से पहले स्पाइसेस बोर्ड कार्यालयों में लेखा कर्मचारियों की सहायता से आँकडे से संबंधित किसी भी संदेह को दूर किया जाएगा।
5)	सलाहकार, अनुबंध अवधि के दौरान कर अधिकारियों/आंतरिक लेखा परीक्षा/सीएंडएजी द्वारा किए जाने वाले कर लेखा परीक्षा/अन्य लेखा परीक्षा के लिए जीएसटी से संबंधित आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करने में कार्यालय कर्मचारियों की सहायता करेगा। यदि अनुबंध अवधि से संबंधित जीएसटी के बारे में कोई स्पष्टीकरण बाद में आवश्यक हो जाता है, तो उसे भी प्रदान किया जाएगा।
6)	आवश्यकता पड़ने पर माल और सेवा कर विभाग (जीएसटी)/न्यायपालिका के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना और पूरे भारत में जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों के लिए मसाला बोर्ड द्वारा प्राप्त नोटिसों के लिए निर्धारित नियत तिथि के भीतर उत्तर तैयार करना और प्रस्तुत करना।
7)	जीएसटी परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों और जीएसटी से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करना।
8)	जीएसटी और जीएसटी टीडीएस के अनुपालन में प्रमाण पत्र/ ई-बीजक जारी करने में सुविधा प्रदान करना।
9)	परामर्शदाता को अंतिम कार्य दिवस से पहले और संबंधित जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले कार्य दिवस के भीतर भुगतान के लिए जीएसटी चल्लान प्रस्तुत करना होगा।
10)	परामर्शदाता जीएसटी मुद्दे से संबंधित जब भी स्पाइसेस बोर्ड द्वार आवश्यक हो, किसी भी अन्य मामले में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
	आयकर टीडीएस से संबंधित कार्य
1)	मासिक, त्रैमासिक और ई-टीडीए रिटर्न दाखिल करना, यानी 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू, 27ईक्यू और टीसीएस के साथ-साथ लेखा मोड्यूल से आँकडे निकालकर क्षेत्र से क्षेत्र कार्यालयों से संबंधित सुधार/संशोधन और स्पाइसेस बोर्ड, आईटीआर 7 का वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना।
2)	रिटर्न से संबंधित सूचना/प्रश्नों का जवाब देना और आयकर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सुधार करना।
3)	16, 16 ए और 27 डी से तिमाही के हार्ड का ॅपी और सोफ्ट का ॅपी समय पर उपलब्ध कराएं ं।

4)	16(भाग ए और भाग बी) और 12 बीए से वार्षिक के हार्ड काॅपी और सोफ्ट काॅपी उपलब्ध कराएंं।
5)	भाग बी और 12 बीए से आँकडे स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तें

1)	फर्म को कार्य की दर लागू जीएसटी अलग-अलग बतानी होगी।
2)	फर्म को मासिक भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह का भुगतान जीएसटी बीचक के साथ स्पाइसेस बोर्ड की संतुष्टि के लिए विधिवत दाखिल विवरण प्रस्तुत करने पर अगले माह की 15 तारीख से पहले किया जाना चाहिए।
3)	भुगतान जारी करते समय लागू जीएसटी काटा जाएगा।
4)	यदि जीएसटी, टीडीएस, आयकर आदि से संबंधित परामर्शदाता की ओर से चूक के कारण कोई जुर्माना, ब्याज या अन्य अतिरिक्त दावे होते हैं, तो फर्म से उसका भुगतान किया जाएगा।
5)	यदि किसी भी समय पर यह महसूस किया जाता है कि परामर्शदाता की सेवा संतोषजनक नहीं है, तो स्पाइसेस बोर्ड एक महीने का सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है, और इस संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की मुआवजा परामर्शदाता द्वारा की जानी चाहिए।

<u>आवेदक का विवरणिका</u>

1. आवेदक का नाम:

2. निगमन की तिथि:

3. मुख्य कार्यालय का पता:

4. स्थानीय पता:

5. संपर्क अधिकारी (ओं) (बिक्री और सेवा दोनों) का संचार:

1) नाम:

2) फोन सं.:

3) मोबाईल सं./फैक्स सं.:

4) ई-मेल:

6. व्यवसाय आरंभ होने का वर्ष:

7. जीएसटीआईएन पंजीकरण संख्या:

8. देशभर में कार्यालयों की संख्या:

9. पिछले दो वर्षों के संपरीक्षित लाभ और हानि विवरण, तुलन पत्रक और आईटी रिटर्न्स की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. मुख्य भागीदारों/कर्मचारियों का विवरण और उनकी विशेषज्ञता का संक्षिप्त विवरण:

तारीख : **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

स्थान : **(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)**

तकनीकी बोली

कार्य का नाम: कर सलाहकार के रूप में सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति

<u>बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी वित्तीय बोली के साथ नीचे उल्लिखित प्रारूप को पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत करें</u>

परिशिष्ट ।

वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप

जीएसटी से संबंधित कार्यों के लिए उद्धरण (21 पंजीकरण के लिए)

विवरण	**प्रति पंजीकरण का मासिक शुल्क**	**प्रति पंजीकरण का वार्षिक शुल्क**	**21 पंजीकरण के लिए कुल शुल्क**
मासिक जीएसटी दाखिल (जीएसटीआर 1, 2ए सुलह और 3बी शामिल है)			
मासिक ई-बीजक (औसत- प्रति पंजीकरण अपलोड के लिए4000 बीजक			
प्रति पंजीकरण का मासिक जीएसटी टीडीएस दाखिल (औसत- प्रति पंजीकरण अपलोड के लिए 20 लाइन आइटमस			
प्रति पंजीकरण का जीएसटी वार्षिक रिटर्न			
कुल (ए) जीएसटी सहित			

आईटी संबंधित कार्यों के लिए उद्धरण

विवरण	**वार्षिक शुल्क रुपये में**
कर्मचारियों के लिए तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करना - 24क्यू (लगभग 225 कर्मचारी)	
कर्मचारियों के अलावा अन्य तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करना - 26क्यू	
कर्मचारियों और अन्य के लिए प्रपत्र 16 दाखिल करना	

आईटीआर 7 दाखिल करना	
कुल (बी) जीएसटी सहित	

वित्तीय मूल्यांकन के लिए ए+बी के कुल कोट मूल्य पर विचार किया जाएगा।

नोट: उत्तप तैयार करने और सुनवाई में भाग लेने/ विभाग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उद्धरण अलग से दिए जा सकते है क्योकि ये नियमित प्रकृति के नहीं है और वितीय बोली के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।